INDIA PARTNER Dabur GROUP

अविवा लाइफशील्ड एडवांटेज

AVIVA
Life Insurance

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज – एक गैर–संपर्क, गैर सहभागिता सुरक्षा योजना जो मैचुरिटी पर किस्तों की वापसी का आश्वासन देता है।

आपके परिवार की समृद्धि तथा भलाई आपके लिए सर्वोपरि है और यह पक्का करने के लिए कि यह हमेशा इसी प्रकार कायम रहे, अवीवा आपके लिए अविवा लाइफशील्ड एडवांटेज की योजना प्रस्तुत करता है। आप अपने परिवार की रक्षा मामूली लागत पर कर सकते हैं, यदि आप जीवित नहीं रहें। इसके अलावा, आपके जीवित रहने और पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने पर किस्तों के रूप में भुगतान की गई कुल रकम आपको वापस लौटा दी जाएगी।

अवीवा लाइफशील्ड एडवांटेज के लाभ आपकी ऐसे विकल्प भी चुनने का मौका देता है जो किसी दुर्घटना के कारण विकलांगता के प्रति उन्नत सुरक्षा प्रदान करता है।

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज : अनोखे आकर्षण

1. **आपके परिवार के लिए सुरक्षाः** अविवा लाइफशील्ड एडवांटेज लाभ आपको नाम–मात्र मूल्य पर आपके परिवार के लिए सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है, इस तरह आपके न रहने पर भी उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी होती है।
2. **आपके द्वारा भुगतान की गई किस्त आपको वापस मिलती हैः** आपको इस पॉलिसी के लिए भुगतान की गई किस्तों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस योजना में, अवीवा आपके जिंदा रहने के मामले में पॉलिसी की अवधि के अंत में अतिरिक्त किस्त और करों (यदि हो) को छोड़कर मूल किस्त के लिए भुगतान की गई रकम वापस लौटा देगा।
3. **उच्च आश्वस्त रकम पर छूटः** उच्च स्तरीय आश्वस्त रकम के लिए अपने किस्तों पर छूट पाए।

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज : पात्रता

प्रवेश की आयु (पिछला जन्मदिन)	18–55 वर्ष
मैचुरिटी के लिए आयु	28–65 वर्ष
पॉलिसी की अवधि (पीपीटी)	10–30 वर्ष
किस्त भुगतान अवधि (पीपीटी)	विकल्प कः सिंगल किस्त या नियमित किस्त (पॉलिसी के अवधि के समान) विकल्प खः नियमित किस्त (पॉलिसी के अवधि के समान)
आश्वस्त रकम (एसए)	न्यूनतमः ₹2,00,000 अधिकतमः विकल्प क – कोई सीमा नहीं विकल्प ख – ₹ 50 लाख
किस्त की आवृत्ति	नियमित किस्त विकल्प के लिए सिंगल किस्त (केवल विकल्प क के अधीन उपलब्ध है) वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, तिमासिक और मासिक आवृत्ति उपलब्ध है (तिमासिक और मासिक मोड्स के लिए केवल ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट की अनुमति है)
न्यूनतम किस्त (किस्त भुगतान आवृत्ति पर निर्भर करता है)	सिंगलः ₹ 12,000 वार्षिकः ₹ 2,400 अर्ध–वार्षिकः ₹ 1,250 तिमासिकः ₹ 650 मासिकः ₹ 250 करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
अधिकतम किस्त	कोई सीमा नहीं है (आश्वस्त रकम पर निर्भर करता है)

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज – आपकी योजना के लिए 5 आसान चरण

चरण 1	आवश्यक सुरक्षा प्रकार चुने	विकल्प कः पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु होने पर आश्वस्त रकम, बशर्ते मृत्यु तक की सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो। विकल्प खः पॉलिसी की अवधि के दौरान, मृत्यु पर या किसी दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता (पीटीडी), जो भी पहले हो, पर आश्वस्त रकम सहित किस्तों की वापसी, बशर्ते मृत्यु तक की सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो। सभी विकल्पों के लिए मृत्यु लाभ है अतिरिक्त किस्त और करों (यदि हो) को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों की वापसी।
चरण 2	मनचाहा सुरक्षा स्तर चुने	न्यूनतम आश्वस्त रकमः ₹ 2 लाख अधिकतम आश्वस्त रकमः विकल्प क – कोई सीमा नहीं विकल्प ख – ₹ 50 लाख
चरण 3	जिस अवधि के लिए आपको सुरक्षा चाहिए उसे चुन कर पॉलिसी की अवधि का निर्णय लें	10–30 वर्ष, बशर्तेः • प्रवेश की आयु : 18–55 वर्ष • मैचुरिटी के लिए आयु : 28 – 65 वर्ष हो
चरण 4	किस्त आवृत्ति चुने	• नियमित किस्त (केवल विकल्प क के लिए) • नियमित (पॉलिसी के अवधि के समान), वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, तिमासिक और मासिक मोड्स के माध्यम से (तिमासिक और मासिक मोड्स के लिए केवल ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट की अनुमति है)
चरण 5	हमारे वित्तीय योजना सलाहकारों के साथ देय किस्त तय करें	• अधिक आश्वस्त रकम के लिए छूट पाए

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज : फायदे

मैचुरिटी लाभः इस योजना के अधीन, मैचुरिटी लाभ (दोनों विकल्प) है अतिरिक्त किस्त और करों (यदि हो) को छोड़कर भुगतान की गई किस्तों की वापसी। किस्तों के कुल रकम पर कोई ब्याज नहीं है।

सुरक्षा के दो वर्गों में से अपना चुनाव करें:

- **विकल्प क : जीवन सुरक्षा**
  – मृत्यु लाभः बीमित व्यक्ति के पॉलिसी की अवधि के अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के घटना में, मृत्यु की तिथि तक सभी नियत किस्तों का भुगतान होने पर, आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति को आश्वस्त रकम भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- **विकल्प ख : किस्त वापसी के साथ जीवन सह विकलांगता सुरक्षा**
  – मृत्यु/पीटीडी लाभः आपकी मृत्यु पर या किसी दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता (पीटीडी) से पीड़ित होने के दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो भी पहले हो, यदि मृत्यु तक की सभी देय किस्तों का भुगतान किया गया हो, पर आश्वस्त रकम सहित मृत्यु की सूचना की तिथि तक भुगतान किया गया कुल किस्त अदा की जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  किसी बीमित व्यक्ति को स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से विकलांग केवल तभी समझा जाएगा, जब दुर्घटना में शारीरिक आघात के परिणामस्वरूपः

1. बीमित व्यक्ति की दोनों अंग शरीर से अलग हो गई हो (या काम न कर रहा हो), या
2. दोनों आँखों से पूरी तरह से और असाध्य रूप से अँधा हो गया हो, या
3. एक अंग शरीर से अलग हो गए हो (या काम न कर रहा हो) और एक आँख से पूरी तरह से और असाध्य रूप से अँधा हो गया हो, या

4. बीमित व्यक्ति 1 वर्ष की अवधि से लगातार विकलांग रहा हो और कंपनी ने निर्धारित किया हो कि वह इस हद तक असमर्थ हो चुका है कि वह व्यक्ति कभी भी खुद का या समान प्रकार का रोजगार दुबारा नहीं कर पाएगा।

यहाँ, अंग का मतलब है कलाई/टखनों पर का या ऊपर का हाथ/पाँवः
मृत्यु होने पर, देय रकम निम्न रकमों में से सर्वाधिक रकम होगीः

क) वार्षिकृत किस्त का 10 गुना (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर), या (नियमित किस्त पॉलिसी के लिए लागू)

ख) सिंगल किस्त के मामले में, भुगतान की गई एकल किस्त का 125% (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)

नियमित किस्त के मामले में, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई सभी किस्तों का 105% (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर), या

ग) पॉलिसी के मैचुरिटी पर देय रकम, या

घ) विकल्प क के मामले में – आश्वस्त रकम
विकल्प ख के मामले में – आश्वस्त रकम सहित भुगतान की गई सभी किस्तों का कुल रकम (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)

अपवाद

12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने परः

i. पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

ii. पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

विकल्प ख के तहत, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, "आत्महत्या" अपवाद के सिवाय कोई अन्य अपवाद लागू नहीं है।

विकल्प ख के तहत, दुर्घटनात्मक पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता होने के मामले में दुर्घटनात्मक पूर्ण रूप से उस स्थायी विकलांगता के लिए लाभ देय नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न द्वारा हुई होः

i. शराब का सेवन, या दवाओं का दुरुपयोग जिसमे एक पंजीकृत और योग्य चिकित्सीय अभ्यासकर्ता द्वारा लिखी गई दवाओं के अलावा अन्य दवा लेना, बीमित व्यक्ति के हाथों वास्तव में कोई अपराध होना या आरोप लगना, स्वेच्छा से खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या करना या बिना किसी यथार्थ कारण के चिकित्सीय सलाह न लेना और पालन न करना शामिल है।

ii. एक पंजीकृत और योग्य चिकित्सीय अभ्यासकर्ता से चिकित्सीय उपचार और सलाह न लेना और पालन न करना।

iii. खेलों और तैराकी के अलावा किसी अन्य प्रकार के रेसिंग में शामिल होना।

iv. किसी भी प्रकार का युद्ध, आक्रमण, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), नागरिक युद्ध, विद्रोह, दंगे, सामाजिक अराजकता, बगावत, सैन्य या हथियाई गई ताकत, या हिंसा के कृत्यों में स्वेच्छा से भाग लेना।

v. एक न्यूक्लियर दुर्घटना के कारण रेडियोएक्टिव संदूषण होना।

vi. कोई भी मानसिक या कार्यात्मक विकार होना।

vii. खतरनाक खेलों या शौक में भाग लेना या जिसमे पैराशूटिंग, पॉटहोलिंग, पहाड़ पर चढ़ाई करना, और हॉट एयर बैलून में सवार होना शामिल है।

viii. पॉलिसी की शुरुआत या बहाली से पहले 48 महीनों के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को लगी कोई भी बीमारी, रोग या चोट या संबंधित बीमारियाँ जिसके संकेत या लक्षण बीमित व्यक्ति में देखे गए हैं और/या निदान हुआ था, और/या चिकित्सीय सलाह/उपचार मिला है।

ix. वाणिज्यिक अनुज्ञा प्राप्त यात्री विमान में एक यात्री, केबिन क्रू और पायलट को छोड़कर अन्य विमानन।

x. मानव प्रतिरक्षा अभाव वायरस (एचआईवी) या इसकी किस्मे जिसमे एड्स (अर्जित प्रतिरक्षा शक्ति अभाव लक्षण) शामिल है।

एक दुर्घटना एक बाहरी और विज़िबल माध्यम से घटित एक अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है।

एक चिकित्सीय अभ्यासकर्ता वह व्यक्ति है जो भारत के किसी भी राज्य के आयुर्विज्ञान परिषद् में विधिमान्य रूप से पंजीकृत है और एतद्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अधिकारी है; और वह अपने अनुज्ञा पत्र के स्कोप और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम कर रहा है। चिकित्सीय अभ्यासकर्ताओं में निम्न शामिल नहीं होगाः

क) पॉलिसी धारक का करीबी संबंधी; या

ख) वह व्यक्ति जो पॉलिसी धारक के साथ रह रहा हो; या

ग) इस पॉलिसी के अधीन बीमित व्यक्ति/पॉलिसी धारक।

दुर्घटनात्मक पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता होने के मामले में, उपरोक्त में से कोई भी अपवाद होने के मामले में लाभों का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार जीवन कवर के लिए पॉलिसी जारी रहती है।

कृपया ध्यान दें

लाभों का समस्त भुगतान सभी किस्तों के अदायगी के अधीन है।

छूट की अवधिः वार्षिक, अर्ध–वार्षिक और तिमासिक मोड्स में अपनी किस्त अदा करने के लिए 30 दिनों की आर मासिक मोड में किस्त अदा करने के लिए 15 दिनों की छूट की अवधि है।

व्यपगत पॉलिसीः यदि पहले 3 साल की किस्त भुगतान करने से पहले किस्त का भुगतान बंद हो जाने पर, पॉलिसी छूट के अवधि के बाद बिना किसी मूल्य के व्यपगत (लैप्स) हो जाएगी और सभी जोखिम कवर बंद हो जाएंगे। एक व्यपगत पॉलिसी को प्रथम आदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षों के बहाली अवधि के भीतर सभी देय किस्तों सहित भुगतान के समय प्रचलित ब्याज चुका कर बहाल किया जा सकता है, ऐसा करने में असफल रहने पर पॉलिसी के प्रति कोई लाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

कंपनी को एक व्यपगत/प्रदत्त पॉलिसी को बहाल करने का अधिकार आरक्षित है। व्यपगत/ प्रदत्त पॉलिसी के बहाली/रिवाइवल के लिए रिवाइवल शुल्क देना पड़ेगा जो वर्तमान रु. 250/– है और और भविष्य में आईआरडीएआई के अनुमोदन से समीक्षा के अधीन है। पॉलिसी धारक को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार ब्याज अदा करने और अपनी लागत पर पॉलिसी को बहाल करने के लिए बीमायोग्यता का प्रमाण देने की आवश्यकता है। तत्काल 9% प्रति वर्ष, मासिक चक्रवृद्धि में ब्याज दर लिया जाता है।

प्रदत्तः यदि पहले 3 साल की किस्त भुगतान करने के बाद किस्त भुगतान पर छूट प्रदान की गई है, तो पॉलिसी छूट की अवधि समाप्त होने पर एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी और एक प्रदत्त मूल्य ले लेगी। एक प्रदत्त पॉलिसी को पॉलिसी को प्रथम आदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षो की बहाली अवधि के अंतर्गत बहाल किया जा सकता है।

एक प्रदत्त पॉलिसी के लिए मृत्यु और/या दुर्घटनात्मक पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता लाभ निम्न प्रकार से आगणित प्रदत्त आश्वस्त रकम के समान होगाः

$$\text{प्रदत्त आश्वस्त रकम} = \text{आश्वस्त रकम} \times \left(\frac{\text{भुगतान की गई किस्तों की संख्या}}{\text{पॉलिसी के अधीन देय किस्तों की संख्या}} \right)$$

मैचुरिटी तक जीवित रहने के मामले में अद्यावधि तक भुगतान की गई कुल किस्त (अतिरिक्त किस्त और करों, यदि हो, को छोड़कर) देय होगी।

समर्पण

- नियमित किस्त वाली पॉलिसियों के लिएः कम से कम 3 वर्षों की किस्त अदा

करने पर, समर्पण मूल्य देय होगा। देय समर्पण मूल्य वह रकम होगा जो गारंटीड समर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी) में से बड़ा हो।

जीएसवी = जीएसवी घटक × भुगतान की गई कुल किस्त

*किस्त में कर और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, शामिल नहीं होगा।

गारंटीड समर्पण मूल्य घटक का मूल्य क्रमशः विकल्प क (आरपी) और विकल्प ख के लिए संलग्नित तालिका के अनुसार है।

- सिंगल किस्त वाली पॉलिसियों के लिए (केवल विकल्प क के अधीन प्रयोज्य), पॉलिसी को प्रथम पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी समय समर्पित किया जा सकता है। द्वितीय पॉलिसी वर्ष निम्न अनुसार समर्पण मूल्य की गणना की जाएगीः

  जीएसवी घटक × सिंगल किस्त

  समर्पण की तिथि को पॉलिसी की बकाया अवधि का हिसाब किया जाएगा, यदि आंशिक भाग आधे से कम और एक तक है, और यदि आंशिक भाग आधे के समान या अधिक है तो वर्ष के किसी भी आंशिक भाग को राउंड–ऑफ़ करके शून्य किया जाएगा।

  यहाँ पर सिंगल किस्त की रकम में अतिरिक्त किस्त और कर शामिल नहीं है।

  जीएसवी घटक संलग्नित तालिका के अनुसार है।

- विशेष समर्पण मूल्य = प्रदत्त मूल्य × समर्पण मूल्य घटक
- प्रदत्त मूल्य, भुगतान की गई किस्तों का कुलयोग है जिसमे कोई अतिरिक्त किस्त और कर, यदि हो, शामिल नहीं है।
- कंपनी समय–समय पर आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन से समर्पण मूल्य घटक का निर्णय करेगी।

कर लाभ

कर के लाभ प्रचलित कर विधियों के अनुसार होगा। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।

नामांकन एवं समनुदेशन

इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन परिभाषित नामांकन की अनुमति है।

इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अधीन परिभाषित समनुदेशन की अनुमति है।

फ्रीलुक अवधि

पॉलिसी धारक को पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि पॉलिसी धारक फ्री लुक अवधि के दौरान अपनी पॉलिसी रद्द करता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तिथि को किस्त में से समानुपाती जोखिम किस्त और चिकित्सा और स्टैम्प ड्यूटी पर वहन की गई खर्चे काटने के बाद किस्त वापस लौटा देगी।

अविवा लाइफशील्ड™ एडवांटेज : – किस्त के भुगतान के बारे में

- वार्षिक किस्त मोड के अन्यथा नियमित किस्त मोड के लिए, वार्षिक किस्त का नीचे प्रस्तुत मोडल फैक्टर के साथ गुणन करके देय किस्त का हिसाब किया जाएगा।

किस्त भुगतान की मोड	मोडल फैक्टर
वार्षिक	1.0000
अर्ध वार्षिक	0.5108
तिमासिक	0.2591
मासिक	0.0871

किस्त के दरों का नमूनाः

• एक स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए आश्वस्त रकम के प्रति रु. 1000 के किस्तों (नियमित किस्त) की तालिका :

विकल्प क

आयु	पुरुष			महिला		
	PT = 10	PT = 20	PT = 30	PT = 10	PT = 20	PT = 30
25	16.82	9.47	7.98	16.82	9.47	7.98
35	18.63	11.06	9.57	18.63	11.06	9.57
45	25.43	16.25	-	25.43	16.25	-

विकल्प ख

आयु	पुरुष			महिला		
	PT = 10	PT = 20	PT = 30	PT = 10	PT = 20	PT = 30
25	18.44	10.38	8.77	18.44	10.38	8.77
35	20.50	12.21	10.62	20.50	12.21	10.62
45	28.50	18.42	-	28.50	18.42	-

• एक स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए आश्वस्त रकम के प्रति ₹ 1000 के किस्तों (विकल्प क एकल किस्त) की तालिका :

आयु	पुरुष			महिला		
	PT = 10	PT = 20	PT = 30	PT = 10	PT = 20	PT = 30
25	68.24	56.26	60.46	68.24	56.26	60.46
35	79.35	71.86	82.28	79.35	71.86	82.28
45	118.24	117.22	-	118.24	117.22	-

अधिक आश्वस्त रकम के लिए छूटः आप देय किस्त पर छूट पाने के पात्र होंगे, यदि आप नीचे प्रस्तुत जानकारी के अनुसार अधिक आश्वस्त रकम का विकल्प चुनते हैं:

नियमित किस्त वाली पॉलिसियों के लिए आश्वस्त रकम के प्रति ₹1000 पर छूट (विकल्प क और विकल्प ख):

पॉलिसी की अवधि (वर्षों में)	आश्वस्त रकम (एसए) की सीमा (₹ लाख में)						
	SA< 3	3<=SA<4	4<=SA<5	5<=SA<10	10<=SA<20	20<=SA<50	50<=SA
10	शून्य	3.75	5.75	7.25	9.75	11.00	12.25
11 से 15	शून्य	2.50	3.75	4.50	6.00	7.00	7.50
16 से 20	शून्य	2.25	3.25	4.00	5.25	6.00	6.50
21 से 25	शून्य	2.00	3.00	3.50	4.50	5.25	5.75
26 से 30	शून्य	1.75	2.75	3.25	4.25	5.00	5.25

एक किस्त वाली पॉलिसियों के लिए आश्वस्त रकम के प्रति ₹ 1000 पर छूट (केवल विकल्प क):

पॉलिसी की अवधि (वर्षों में)	आश्वस्त रकम (एसए) की सीमा (₹ लाख में)					
	SA< 3	3<=SA<4	4<=SA<5	5<=SA<10	10<=SA<20	20<=SA
10	शून्य	12.50	17.50	22.50	30.00	40.00
11 से	शून्य	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00

करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।

स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अवीवा किसी भी दावे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

अवीवा में ही निवेश क्यों करें?

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अविवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)।

डाबर की एक प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड की संस्थापना वर्ष 1884 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने और बड़ी कंपनियों में से एक है। यह भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य वर्धन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादकर्ता है।

धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

उपबंधित है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे इस उप–धारा के अर्थों के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्रमाणित करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

संलग्नक

1. किस्त का भुगतान अविवा के किसी भी शाखा कार्यालय में नकद में, चेक या डिमांड ड्राफ्ट किया जा सकता है। आप अविवा के किसी शाखा या आपके निकट स्थित किसी स्काईपैक ड्रॉप बॉक्स में अपनी चेक या ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स के स्थानों की सूची पाने के लिए www.avivaindia.com देखें।
2. नियमित किस्त वाली पॉलिसियों के लिए, किस्तों के भुगतान के मोड्स में पॉलिसी के वर्षगाँठ की तिथि से कम से कम 30 दिनों पहले सूचना देकर परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान प्रत्येक बार परिवर्तन करवाने पर ₹100 परिवर्तन शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआइ) के अनुमोदन के अधीन परिवर्तन योग्य है।

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737

AVIVA
| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।
फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210
वेबसाइटः www.avivaindia.com
ई–मेलः customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अविवा लाइफशील्ड एडवांटेज, पारम्परिक नॉन–पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। भारतीय IRDA नं. 122 जोखिम के कारणों और नियमों एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया सेल्स ब्रोशर पढ़ने के बाद बिक्री करार पूरा करें। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। हेल्पलाइन नं. 1800-180-22-66/ 1800-103-77-66, UIN: 122N081V02, Advt No. Jul 12/17, MKT/ November 2017/Ver. 1.3.